दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय तिथि : 06.05.2024

आ.प्र.अ. (मूल पक्ष) (वाणि.) 89/2024

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा वैज्ञानिक
तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद

.....अपीलार्थी

द्वारा: श्री नरेंद्र हुड्डा, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री जयेश उर्मीकृष्णन, श्री भुवनेश सतीजा, श्री भव्य लांबा, सुश्री विभूती मल्होत्रा और श्री उदित शर्मा, अधिवक्तागण।

बनाम

मेसर्स इकोकेयर बायोलूब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड .....प्रत्यर्थी

द्वारा:

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री विभू बखरु
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री तारा वितस्ता गंजू

<u>न्या. विभू बखुरु (मौखिक)</u>

<u>सि.वि.आ. 26838/2024 (छूट)</u>

1. छूट की अनुमति है, सभी न्यायसंगत अपवादों के अध्यधीन।

2. आवेदन का निपटारा कर दिया गया है।

<u>आ.प्र.अ.(मूल पक्ष) (वाणि.) 89/2024 और सि.वि.आ. 26837/2024 (रोक)</u>

3. अपीलकर्ता ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांकित 23.02.2024 आदेश को आक्षेपित करते हुए वर्तमान अपील दायर की है, जिसके तहत माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद ए. एंड सी अधिनियम) की धारा 34 के तहत अपीलकर्ता के आवेदन को अपास्त किया गया था और दिनांकित 25.04.2019 के माध्यस्थम् अधिनिर्णय (इसके बाद आक्षेपित अधिनिर्णय) को दी गई चुनौती को अस्वीकार कर दिया गया था।

4. अपीलकर्ता जो माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी था, का दावा है कि उसे दिनाँक 16.06.2019 को आक्षेपित पंचाट की एक प्रति प्राप्त हुई थी। अपीलकर्ता ने दिनाँक 05.09.2019 को पूर्वोक्त आवेदन [मू.वि.या (वाणि.) 15/2020] दायर किया था। जो उक्त फाइल करना सीमा अवधि के भीतर था। हालाँकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि दिनाँक 05.09.2019 को दायर किए गए आवेदन को विभिन्न दोषों और अपर्याप्तता के कारण एक अमान्य फाइल करना के रूप में माना जाना आवश्यक है। अभिलेख से पता चलता है कि (i) केवल 33 पृष्ठ दाखिल किए गए थे और उन्हें बुकमार्क या पृष्ठांकित नहीं किया गया था; (ii) न्यायालय शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था; (iii) धनीय अधिकारिता का मूल्य उल्लेखित नहीं किया गया था; आवेदन के साथ सत्यापित शपथ-पत्र नहीं था; (iv) आक्षेपित अधिनिर्णय की प्रति, जिस पर आपत्ति की जानी थी दाखिल नहीं की गई थी; (v) वकालतनामा दाखिल नहीं किया गया था; (vi) मुख्तारनामा पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे; आवेदन के साथ सत्यता का कथन संलग्न नहीं था, जैसा कि अनिवार्य था। इसलिए फाइल करना किए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जा सका।

5. उक्त आवेदन को त्रुटीपूर्ण चिह्नित किया गया और दिनाँक 16.09.2019 को इस न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा पुनः दाखिल करने के लिए वापस कर दिया गया। इसके बाद, अपीलकर्ता ने दिनाँक 23.11.2019

को उक्त आवेदन को पुनः दाखिल किया। आवेदन और उसके साथ लगे दस्तावेज पहले के 33 पृष्ठों की तुलना में अब 292 पृष्ठों के हो गए हैं,

6. विद्वान एकल न्यायाधीश का मत था कि चूंकि दिनाँक 23.11.2019 को दायर किया गया आवेदन आक्षेपित अधिनिर्णय की प्राप्ति की तारीख से 3 महीने और अतिरिक्त 30 दिनों की अवधि से परे था, इसलिए इसे परिसीमा द्वारा वर्जित किया गया था और देरी उस अवधि से परे थी जिसे न्यायालय द्वारा ए. और सी. परंतुक की धारा 34 (3) के तहत माफ किया जा सकता था।

7. जिस परिसीमित विवाद का समाधान किया जाना है वह यह है कि क्या दिनाँक 23.11.2019 पर दायर आवेदन को एक नई फाइल करना के रूप में माना जाना आवश्यक था या पहले दायर आवेदन को फिर से दाखिल करने के रूप में माना जाना आवश्यक था।

8. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया है कि चूंकि दिनाँक 05.09.2019 पर प्रारंभिक फाइल करना अमान्य था, इसलिए दिनाँक 23.11.2019 पर दायर आवेदन को आक्षेपित अधिनिर्णय को चुनौती देने वाले अपीलार्थी के पहले आवेदन के रूप में माना जाना आवश्यक था।

9. यह विवादित नहीं है कि दिनाँक 05.09.2019 को दायर आवेदन के साथ शपथ-पत्र, वकालतनामा या अधिनिर्णय की प्रति नहीं दी गई थी। इसके अलावा, यह सत्यता के शपथ-पत्र द्वारा समर्थित भी नहीं था, जैसा कि अपेक्षित था।

10. जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपीलकर्ता द्वारा दायर मूल याचिका केवल 33 पृष्ठों की थी। उपरोक्त दोषों के समग्र विचार पर, उक्त फाइल करना स्पष्ट रूप से अपर्याप्त था और इसे सही रूप से अमान्य फाइल करना माना गया। उक्त मुद्दा इस न्यायालय की समन्वय न्यायपीठ द्वारा ***तेल***

और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड बनाम साई राम इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज और मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संयुक्त उद्यम; तटस्थ उद्धरण संख्या 2023: डीएचसी: 135-डी.बी. में दिए गए निर्णय द्वारा सम्मिलित किया गया है।

11. अपील गुणागुण रहित है और तदनुसार खारिज की जाती है। लंबित आवेदन को भी निपटाया जाता है।

न्या. विभू बखरु

न्या. तारा वितस्ता गंजू

मई 06, 2024
पी.ए.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*